

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, गिरानी

(आईएसओ, १००१-२००० द्वारा प्रजापित रास्ता)

प्रेषण:-

संविव

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
गिरानी।

दोषांगे

प्रावार्थ,
Adarsh Sen. Sec School-
Nahra (Ambala)

क्रमांक १८५ / सीनियर रोकेण्डरी / रामदत्ता / २००८-०९

दिनांक: - २२/७/०८

महोदय / महोदया,

आपकी संस्था को सीनियर रोकेण्डरी कक्षा तक शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्थायी
मान्यता के आधार पर स्थायी सम्बद्धता इस बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती
है:-

- १- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड / शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित पुस्तकों ही पढ़ाई जायें।
- २- संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपने रघूत का भवन/फर्नीचर एवं अपने रटाफ की
रोपाएं बोर्ड को उपलब्ध कराएं। बोर्ड द्वारा उन्हें भवन/फर्नीचर का किराया आदि नहीं
दिया जायेगा।
- ३- बोर्ड द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम! एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय-समय पर जारी
किये जाते हैं, संस्था उनकी मुद्रता रो पालन करेगी।
- ४- संस्था बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय परीक्षा एवं इससे सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को संचालित
करने में पूर्ण सहयोग देगी।
- ५- संस्था द्वारा हरियाणा ऐजुकेशन कोड की घास २८ टम संख्या १से २१ के अनुसार सभी प्रकार का
रिकार्ड एवं रजिस्टर दौगार करने की पालना की जायेगी।
- ६- संस्था में कार्यरत रटाफ की नेतृत्व हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हो।
- ७- परीक्षार्थियों का विद्यालय में रठने के लिये समुदाय प्रबन्ध करना होगा।
- ८- संस्था में पढ़ाये जाने वाले वैज्ञानिक विषयों के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरणों का
पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित विज्ञान की प्रायोगिक
पुस्तिका ही विद्यार्थियों को लगाई जाए।
- ९- संस्था में पढ़ाये जाने वाले वैज्ञानिक विषयों के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरणों का
पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित विज्ञान की प्रायोगिक
पुस्तिका ही विद्यार्थियों को लगाई जाए।
- १०- बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने के पश्चात कर्मी भी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग / हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिए
गए नियंत्रणी आपकी संस्था पर लागू होंगे तथा आपकी संस्था द्वारा इनकी पालना की जायेगी।

यदि किसी समय यह पाया गया कि प्रबन्धक / विद्यालय / गहाविद्यालय सम्बद्धता सम्बन्धी शर्तों
का उल्लंघन कर रहे हैं तो सम्बद्धता विनेयमों के अन्तर्गत सम्बद्धता वापिस ले ली जायेगी।

२ भवदीय

राहायक सचिव (सम्बद्धता)
कृतोः समिव

Bhajan
Principal
Adarsh Sen. Sec. School,
Vill. Nahra, P.O. Dehra Salimpur,
Distt. Ambala